

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(4)न्याय/2015


जयपुर, दिनांक 11.3.2020

::आदेश::

राजस्थान विधि रचना सेवा संवर्ग के अधिकारी श्री रमेश प्रसाद श्रीवास्तव, विधि रचना अधिकारी, विधि (विधि रचना प्र-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर जन्म दिनांक 28.03.1961 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर दिनांक 31.03.2021 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-


यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 अधीन विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. इनके विरुद्ध सी.बी.आई. द्वारा अपराध प्रकरण संख्या RC0062014A0003 of C.B.I./ACB/ Lucknow के अन्तर्गत एन्टी करप्शन ब्रांच, लखनऊ में कार्यवाही विचाराधीन है।


11.3.2020
(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री रमेश प्रसाद श्रीवास्तव, विधि रचना अधिकारी, विधि (विधि रचना प्र-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली


11.3.2020
संयुक्त शासन सचिव